

Programmer
Gul
18/11/15



अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27(71)ग्रावि/अनु.-5/सरपंच ज्ञापन/2015-16 जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

स्थायी आदेश संख्या- 24/2015


उ

विभागीय परिपत्र संख्या- 17/2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015, भाग-1 जारी की गई थी। इस निर्देशिका में निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

1. निर्देशिका के बिन्दु संख्या- 24 में कार्यकारी संस्था (कार्य निष्पादन संख्या) के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया गया है जिसके अनुसार कार्यकारी संस्था (कार्य निष्पादन संख्या) वह संस्था है जो वास्तव में कार्य को सम्पादित करवाने हेतु कर्मकारों के रोजगार पर नियोजित करेगी। अनुच्छेद 24.8 में अन्य संस्थाओं का वर्णन कर लिखा गया है कि कोई अन्य संस्था जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कार्य कराने का निर्णय लिया जावेगा का निर्णय भी ग्रामीण विकास के कार्य सम्पादित किये जावेंगे।

उक्त अन्य संस्थाओं की श्रेणी में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के कार्य कराने के लिए अधिकृत जलग्रहण समिति को जोड़ा जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर। निजी सचिव,
3. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि. एवं पंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव / वित्तीय सलाहकार / अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि / ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम / द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि